भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4731
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ई-न्यायालय परियोजना के चरण

4731. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-न्यायालय स्थापित करने की परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में ई-न्यायालय स्थापित करने की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : ई-न्यायालय परियोजना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित, भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए 2007 से कार्यान्वित एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है । ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 (2011-2015) का उद्देश्य न्यायालयों को आधारभूत हार्डवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था, जबकि चरण-2 (2015-2023) में वादियों और वकीलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली का विकास सम्मिलित है, जिसने जनता की न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक पहुंच के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया ।

चरण-1 में उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

i. 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, 13,683 न्यायालयों में लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की स्थापना,

ii. 13,436 न्यायालयों में हार्डवेयर तथा 13,672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर स्थापित किए गए ।

iii. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए तथा सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन अभ्यास पूरा किया गया ।

iv. 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूनटीयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया ।

v. 3900 से अधिक न्यायालय कर्मचारियों को सिस्टम प्रशासक के रूप में केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया ।

vi. 493 न्यायालय परिसरों तथा 347 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू की गई ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-2 के अधीन सरकार की ओर से कई ई-पहलों ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन देश भर के कुल न्यायालय परिसरों में से 99.5% परिसरों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई । ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), सबमरीन केबल इत्यादि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है । यह ई-न्यायालय परियोजना की रीढ़ है, जो देश भर के न्यायालयों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी, मामले की जानकारी और 29.94 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (आज की तारीख तक) तक पहुँच सकते हैं।

iii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मेघालय और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों में न्यायालयों की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण आरंभ हो गया है ।

iv. आज तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,57,14,770 मामलों की सुनवाई की है, जबकि उच्च न्यायालयों ने 92,31,640 मामलों (कुल 3.49 करोड़) की सुनवाई की है । भारत के उच्चतमं न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9,94,054 सुनवाइयां (मार्च 2020 से फरवरी 2025 तक) की हैं।

v. वकीलों के लिए 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 3.0) आरंभ किया गया था ।

vi. शुल्क, आदि के परेशानी मुक्त हस्तांतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई थी ।

vii. प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया की सेवा और समन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई थी ।

viii. जजमेंट सर्च पोर्टल की शुरुआत बेंच, केस टाइप, केस नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ की गई है । यह सुविधा सभी को निःशुल्क में दी जा रही है ।

ix. नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक आसान और परेशानी मुक्त पहुंच की सुविधा के लिए, पूरे भारत में 1610 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए हैं ।

x. यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल कोर्ट काम कर रहे हैं । इन वर्चुअल कोर्ट द्वारा 6.66 करोड़ से अधिक मामलों पर विचार किया गया और 68 लाख से अधिक मामलों में 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है ।

xi. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय सेवाओं के भागरूप में, एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल, बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र), सूचना कियोस्क, वकीलों/वादियों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (आज तक 2.87 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (आज तक 21,105 डाउनलोड) के माध्यम से वकीलों/वादियों को केस की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ।

xii. अधिक निष्पक्षता, स्थिरता, पारदर्शिता और गति लाने के लिए, देश भर के जिला और तालुका न्यायालयों में केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है ।

ई-न्यायालय चरण 3 (2023-2027) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जो चरण 2 के लिए वित्तपोषण से चार गुना अधिक है । परियोजना में विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है, जैसे डिजिटल और कागजरहित न्यायालयों की स्थापना, जिसका उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाहियों को डिजिटल प्रारूप में लाना, न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण (विरासत रिकॉर्ड और लंबित मामले दोनों), न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, यातायात उल्लंघन के न्यायनिर्णयन से परे ऑनलाइन न्यायालयों का विस्तार, सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की परिपूर्णता, डिजिटाइज्ड न्यायालयों अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और उनका समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, सीधा प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि, लंबित मामलों के विश्लेषण, भावी मुकदमों का पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसे इसके उपसमूहों का उपयोग । इस प्रकार, सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के प्रयासों ने देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय प्राप्त करना आसान बना दिया है । आज तक, **उपाबंध-1** में दिए गए विवरण के अनुसार, 18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की गई है ।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय परियोजना के चरणों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4731, जिसका उत्तर 28/03/2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बम्बई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखण्ड	झारखण्ड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल लक्षद्वीप	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	उड़ीसा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

****